Order Sheet [Contd] Case No 194/2017 बी.ए

Cdse No 194 / 2017 41.5	Case No 194 / 2017 회사	
22.05.2017 राज्य की ओर से अपर लोक अमियोजक श्री वीवानसिंह गुर्जर। आजेडक, /आरोपी आजाद खों की ओर से अधिवला। श्री सतीशयंन्द मिश्रा द्वारा एक आवेदक, /आरोपी की जानाद खों की ओर से अधिवला। श्री सतीशयंन्द मिश्रा द्वारा एक आवेदक /आरोपी की जागात आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फी० पेश किया जाना प्रकरण आज शींच सुन्याई में लिया जावे। छिवारोपरांत आवेदनम्ज स्वीकार कर प्रकरण आज सुनवाई में लिया जाता है। आवेदक /अपियुक्त कृष्णा की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फी० पर सुनय पक्षों को सुना गया। आवेदक /अपियुक्त की ओर से प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फी० का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के विकट्स सुठी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मौ द्वारा सुठा अपराध पंजीबह कर लिया है जिससे उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। अमियोवत्री 18 वर्षीय महिला है जो कि मेडीकल रिपोर्ट से भी पुण्ट होती है। घटना की रिपोर्ट विलय्य से की गई है और अमियोवत्री के घारा 161 व घारा 164 जाफनी० के कथनों में मिन्नता है। आयेदक /आरोपी दिनांक 2503.2017 से न्यायिक निरोध में है। वह जमानत की समस्त शर्ता का पालन करने को तैयार है। अतः जीवत जमानत मुखलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अमियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करतें दुए आयेदनम्ब निरस्त करने को तियार है। अतः जीवत जमानत अमिवनपत्र के विशास करतें दुए आयेदनपत्र निरस्त संबंध में विचार किया गया। अमिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक /अपियोवत्री के विदान अधिवला द्वारा मुख्य कर से इन को पर अव्यक्ति वेदक जिपियाल के द्वारा देखें जाने पर रिपोर्ट दर्जा कराई गई है विधार प्रसाम प्रयास किया जाना दर्शाया गया है कि अपियोवत्री के अपर लोक अधिकार गई है है आप प्रसाम प्रयास है जाने पर रिपोर्ट को कराई गई है किए सम्वास है। प्रकरण में वलपूर्वक बलात्यम अधिकार की प्रमाम सुवा । स्वास है विधार किया जाना दर्शाया गया है हि कर सकता है और अनियोवत्री के शरीर पर किया जाना दर्शाय । हि हि ही प्रकरण में प्रसाम सुवानों विधार करीर पर किसी मी प्रकार की कोई योत निर्ती पर हि ही प्रकरण में प्रमुखानकता हो कि उन वह हम पर नाम्य आई तो रहता तो जिव्हिया में चौतरा पर अरोपी आजाद था तो हत अपने परियार की लोकर आ गई थी, तब उसने मुपे हव उसने है। प्रतर में मह की एक सुक सुक हो किया मुपे हो की लोकर का आप है की अपयोवत्री की आयु क्या है ह	में सतीशचंन्द्र मिश्रा द्वारा एक श कर निवेदन किया कि फौ० पेश किया जाना प्रकरण इं में लिया जाता है। त्र अंतर्गत धारा 439 जाठफौ० आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कोई संबंध सरोकार नहीं है। ट होती है। घटना की रिपोर्ट जाठफौ० के कथनों में मिन्नता वह जमानत की समस्त शर्तों छोडे जाने का निवेदन किया विदेनपत्र का विरोध करते हुए मोकन किया गया। उप से इन तर्कों पर अत्यधिक रि मामला सहमति का है और था प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक दर्शाया गया है, जबिक एक थित किया जाना दर्शाया गया र की कोई चोट नहीं पाई गई की कोई चोट नहीं पाई गई है, ं तो उसकी पुत्री घर पर नहीं वहां जाकर देखा तो छिडिया आ गई थी, तब उसने घटना त्री की आयु के संबंध में प्रवेश देनांक 04.03.2007 लेख है। या गया है, जिसमें अभियोकत्री की आयु के सांवंध है, यह । सकती है, किन्तु लगाए गए	राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गु आवेदन/आरोपी आजाद खाँ की ओर से अधिवक्ता श्री रं आवेदनपत्र प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिए जाने बावत् पेश आवेदक/आरोपी का जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फीठ आज शीघ्र सुनवाई में लिया जावे। विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकार कर प्रकरण आज सुनवाई आवेदक/अभियुक्त कृष्णा की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अ जा०फी० का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध झूटी रि थाना मौ द्वारा झूटा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है जिससे उसका के अभियोक्त्री 18 वर्षीय महिला है जो कि मेडीकल रिपोर्ट से भी पुष्टः बिलम्च से की गई है और अभियोक्त्री के धारा 161 व धारा 164 जाठ है। आवेदक/आरोपी दिनांक 25.03.2017 से न्यायिक निरोध में है। वह का पालन करने को तैयार है। अतः उचित जमानत मुचलके पर छो है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेद आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोक्त आवेदनपत्र अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप वल दिया गया है कि अभियोक्त्री 18 वर्ष से अधिक आयु की है और केवल जरिजन के द्वारा देखे जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है लथा दिन का बिलम्च है। प्रकरण में वलपूर्वक बलात्संग किया जाना दुः व्यक्ति एक महिला के साथ जिन परिस्थितियों में बलात्संग अभिकथित है नहीं कर सकता है और अभियोक्त्री के शरीर पर किसी भी प्रकार ब है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोक्त्री की माँ के जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जब वह घर पर बापस आई ते थी और कुछ ही दूरी पर लडकी के चिल्लाने की आवाज आई और वा मं चोतरा पर आरोपी आजाद था तो वह अपनी पुत्री को लेकर आ बताई थी। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की ओर से अभियोक्त्री पंजी की प्रति पेश की गई है जिसमें अभियोक्त्री की जन्मदिना अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री का चिकत्सीय परीक्षण भी कराया की उम्र 17, 18 वर्ष के बीच की दर्शाई गई है। प्रकरण में अभियोक्त्री पर घर के पास वल पूर्वक संभीग कारित करने का आरोप है। अभियो गुणदोष का विषय है और इस स्टेज पर कोई टीका नहीं की जा स

